BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 31st March 2016 | No. 3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के होली मिलन समारोह में महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री हुए सम्मिलित

दीप प्रज्ज्वलित कर होली मिलन समारोह का शुभारम्भ करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी एवं माननीय केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 20 मार्च, 2016 (रविवार) को चैम्बर प्रांगण में ''होली मिलन समारोह'' आयोजित हुआ। इस अवसर पर चैम्बर के आमंत्रण पर महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविन्द जी, मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में कृपापूर्वक उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने केशर तिलक लगाकर एवं रंगीन साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर होली मिलन समारोह का शुभारम्भ किया। महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री ने चैम्बर के सदस्यों एवं राज्य के समस्त व्यवसायियों को होली की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक, माननीय विधान पार्षद श्री ललन कुमार सराफ, माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह (गाँधी), माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख, माननीय विधायक श्री नीतीन नवीन, माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिंहा, माननीय विधायक श्री संजीव कुमार चौरसिया, जिलाधिकारी, पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ए० के० चौहान, पुलिस महानिदेशक श्री पी० के० ठाकुर, महानिदेशक सह महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवाएं श्री पी० एन० राय, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज, महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो, सी०आई०आई० के अध्यक्ष श्री एस० पी० सिन्हा, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, डॉ० सज्जन डिडवानियाँ, डॉ० शशि मोहनका, डॉ० विनय प्रसाद, केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न बैंकों के वरीय

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 20 मार्च, 2016 को ''होली मिलन समारोह'' का आयोजन काफी भव्य रहा। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आप सभी बन्धुओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आशा है, भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा।

इस माह दिनांक 12 मार्च, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बिहार में हाजीपुर में गंगा पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण, पाटलीपुत्रा जंक्शन व लखनऊ के बीच नई ट्रेन का शुभारंभ, मुंगेर रेल-सड़क पुल पर मालगाड़ी का शुभारंभ एवं राजेन्द्र पुल (मोकामा) के समानांतर नये पुल निर्माण का शिलान्यास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इससे बिहार में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने 2016-17 के लिए बिहार में बिजली की दरों को पूर्ववत् रखा, यह भी हम सभी के लिए खुशी की बात है।

स्वर्ण व्यवसायी उत्पाद-कर को लेकर पूरे देश में लगभग एक माह से आन्दोलनरत हैं। केन्द्र सरकार से स्वर्ण व्यवसायियों की मांग है कि 1% उत्पाद-कर जो लगाया गया है, उसे समाप्त किया जाये। अतः केन्द्र सरकार को एक सर्वमान्य रास्ता निकालना चाहिए ताकि स्वर्ण व्यवसायियों के साथ-साथ इसके उपभोक्ता भी राहत महसुस कर सकें।

आपका
ओ० पी० साह

पदाधिकारी, प्रेस एवं मीडिया बन्धुओं के साथ-साथ चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण सपरिवार सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने इस अवसर पर कहा कि होली आपसी प्रेम, सौहार्द एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें आपसी भेद-भाव को भूलाकर एक-दूसरे से गले मिलने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करता है ताकि हम आपसी मतभेद को भूलकर एक दूसरे से गले मिलें। श्री साह ने आगे कहा कि चूँकि रंग-अबीर में कई तरह के रसायनों का प्रयोग होने लगा है जो त्वचा को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है तथा जल की भी बर्बादी करता है। इसी को ध्यान में रखकर चैम्बर ने पर्यावरण के अनुकूल फूलों की होली का आयोजन किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने अतिथियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए होली की बधाई दी और भाईचारे एवं सौहार्द के साथ होली मनाने का अनुरोध भी किया।

होली मिलन समारोह में आगुंतकों के लिए होली के पारंपरिक सुस्वादिष्ट व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु राजस्थान के सुविख्यात ललित राणा ग्रुप द्वारा राजस्थानी नृत्य तथा स्थानीय धीरज एण्ड पार्टी द्वारा होली के गीत एवं नृत्य का भी आयोजन हुआ। गीत-नृत्य से सभी श्रोता मंत्रमुग्ध थे।

समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री आशीष बंका, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सांवल राम ड्रोलिया, श्री आशीष शंकर, श्री पवन भगत, श्री रामाशंकर प्रसाद,

होली मिलन समारोह में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी एवं माननीय केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक, महाधिवक्ता बिहार श्री राम बालक महतो एवं अन्य।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को राजस्थानी साफा पहनाते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को केशर चन्दन का तिलक लगाते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को आयोजन स्थल पर ले जाते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं अन्य।

समारोह में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव (दाँये से प्रथम) उनकी दाँयीं ओर माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

सम्मानित अतिथियों की प्रतीक्षा में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (दाँयें) एवं सी०आई०आई० पटना चैप्टर के चेयरमैन श्री एस० पी० सिन्हा।

सम्मानित अतिथियों की प्रतीक्षा में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (बाँयें) एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति करती नृत्यांगनाएं।

समारोह में पुष्प-वर्षा करते चैम्बर कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी। साथ में उपस्थित पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

कलबेलिया नृत्य करती नृत्यांगनाएं एवं अन्य कलाकार।

कलबेलिया नृत्य करती नृत्यांगनाएं एवं अन्य कलाकार।

होली मिलन समारोह का लुत्फ उठाते सदस्यगण एवं अतिथिगण।

तलवार की धार पर नृत्य करता कलाकार एवं अन्य कलाकार।

समारोह में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उनकी दाँयी ओर क्रमशः पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कु. खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, बाँयी ओर पूर्व महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री नन्द किशोर पोद्दार, महिलाएं, श्री आशीष बंका एवं अन्य।

गुलाब की पंखुड़ियों से होली की शुभकामनाएं देते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

श्री सच्चिदानन्द, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय आदि समारोह में सम्मिलित थे। समारोह में आगंतुकों के स्वागत में इनकी सक्रिय भूमिका रही।

चैम्बर का पूरा प्रांगण रंगीन बल्बों की रौशनी से जगमग था, साफा बांधे विशिष्ट अतिथियों एवं सदस्यों से प्रांगण भरा था, आगंतुकों का स्वागत केशर तिलक लगाकर और पुष्प की वर्षा कर हो रहा था। साथ ही सबों को इत्र भी लगाया जा रहा था। होली मिलन समारोह सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गया।

चैम्बर में केन्द्रीय आम बजट - 2016 पर परिचर्चा आयोजित

बजट परिचर्चा को संबोधित करते प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर, बिहार एण्ड झारखंड श्री एस० टी० अहमद (दाहिने से प्रथम)। उनकी दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री शशि मोहन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं वरीय आयकर अधिवक्ता श्री एल० एन० रस्तोगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 03 मार्च, 2016 को केन्द्रीय आम बजट 2016 पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस० टी० अहमद, प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण) श्री ए० के० सिन्हा, आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण, आयकर आयुक्त श्री संजय शिवम, आयकर आयुक्त श्री मानस मेहरोत्रा, संयुक्त आयुक्त आयकर श्री रामबाबु, संयुक्त आयुक्त आयकर श्री राजेश कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त आयकर श्री स्नेहान्शु विश्वास, उपायुक्त आयकर डॉ० पी० एन० शर्मा सहित कई सहायक आयुक्त आयकर, आयकर के वरीय अधिवक्ता श्री एल० एन० रस्तोगी, अधिवक्ता श्री अजय रस्तोगी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस० टी० अहमद साहब के प्रति विशेष आभारी हैं जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद बजट परिचर्चा में चैम्बर के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर चैम्बर में आने की कृपा की है। इसके साथ आयकर विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों का भी बजट परिचर्चा मे पधार कर हमारा उत्साहबर्द्धन के लिए आभारी हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने वरीय आयकर अधिवक्ता श्री एल० एन० रस्तोगी का भी परिचर्चा में पधारने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया और कहा कि इनका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहा है।

श्री साह ने आगे कहा कि उद्यमियों, व्यवसायियों तथा आयकर के वरीय पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का हमेशा सकारात्मक प्रतिफल आता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की तरह आज की बजट परिचर्चा सकारात्मक ही होगी।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं बैंकिग व टैक्सेशन उप-समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर की यह परम्परा रही है कि बजट पेश होने के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों एवं व्यवसायियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के प्रभावों से अवगत कराया जाता है। व्यवसायी वर्ग अपनी बजट संबंधी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त करते हैं।

परिचर्चा को संबोधित करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस० टी० अहमद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में छोटे आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। इन पर कोई अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया

प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर श्री एस० टी० अहमद (दाँयें) को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

प्रधान निदेशक आयकर (अन्वेषण) श्री ए० के० सिन्हा (दाँयें) को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

आयुक्त आयकर श्री प्रशांत भूषण (दाँयें) को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया।

आयुक्त आयकर श्री मानस मेहरोत्रा (दाँयें) को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते महामंत्री श्री शशि मोहन।

आयुक्त आयकर श्री संजय शिवम (दाँयें) को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री पी० के० सिंह।

वरीय अधिवक्ता, आयकर, श्री एल० एन० रस्तोगी को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

गया है। श्री अहमद ने आगे कहा कि सरकार ने वैसे लोगों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है। वैसे लोग 45% कर अदा कर अपनी संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम बजट में टैक्स से जुड़े कई प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। जिसका उद्देश्य यह है कि व्यापारियों को और सहुलियत हो।

आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि ज्यादातर लोगों का साधारण प्रश्न होता है कि हमे कितना टैक्स देना है। इस वर्ष दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम में सरकार ने कई संशोधन भी किये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष करों के सरलीकरण का प्रस्ताव दिया है। अगर आपका टर्न ओवर दो करोड़ से कम है तो आप बिना ऑडिट के कर दे सकते हैं। सरकार ने पायलेट प्रोजेक्ट लागू किया है जिसकी सुविधा बिहार एवं झारखंड में भी उपलब्ध है।

आयकर आयुक्त श्री संजय शिवम ने आम बजट में टी०डी०एस० दरों में की गयी कटौती पर प्रकाश डाला।

परिचर्चा को बिहार इण्डस्ट्रीज एसोशियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, सी०आई०आई० पटना चैप्टर के चेयरमैन श्री एस० पी० सिन्हा, वरीय अधिवक्ता, आयकर, श्री एल० एन० रस्तोगी एवं अधिवक्ता श्री अजय रस्तोगी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।

परिचर्चा में उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री शशि मोहन सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर सदस्य तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

परिचर्चा के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सहित वरीय आयकर आयुक्त एवं वरीय अधिवक्ता श्री एल० एन० रस्तोगी को चैम्बर का स्मृति चिह्न भेंट किया गया। महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बजट परिचर्चा समपन्न हुई।

Trade bodies in state await new industrial Policy

The Nitish Kumar government completed its first century in this innings on 01.03.2016 but trade and commerce bodies in the state are waiting for a new industrial policy which could act as a catalyst in the state 's development.

" The CM's USP is development and good governance. When both these are present in the state, the industrial sector will automatically develop," Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) President O. P. Sah said and added that trade and industry bodies are eagerly waiting for the new industrial policy in Bihar.

BCCI Chief Sah countered the claims of big-ticket investment not reaching Bihar despite the CM's efforts in his previous stints. "Rs 8,000 crore investment in the last eight years without any outside support is not an easy task," he said and lauded the government for setting up a venture capital of Rs. 500 crore for young entrepreneurs. He said it'll promote new business persons.

BCCI President added that the increase in criminal incidents was only a perception that was being created. **(Source : Time of India, 2.3. 2016)**

बैंकों में लंबे अवकाश पर चैम्बर ने जतायी चिंता

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य के वाणिज्यिक बैंकों में 22 से 27 मार्च 2016 तक लंबे अवकाश पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे राज्य की व्यवसायिक गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रभावित होंगी।

चैम्बर के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने जारी बयान में कहा कि लेखा वर्ष का समापन इसी माह में होना है। ऐसी परिस्थिति में वाणिज्यिक बैंकों में लगातार छह दिनों के अवकाश से जहाँ एक ओर राज्य के व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं, दूसरी और सरकार के राजस्व संग्रह पर भी बैंकों की बंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि 22 मार्च से 27 मार्च तक विधिवत अवकाश है परंतु बहुत से बैंक कर्मचारी 21 मार्च को भी अवकाश

लेना चाहेंगे ताकि वे लगातार 20 से 27 मार्च तक का अवकाश का उपयोग सहजता से कर सकें। इससे बैंकिंग कार्य 20 से 27 मार्च आठ दिनों तक प्रभावित होगा। श्री साह ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से अनुरोध किया है कि इस बीच में कम से कम दो दिन बैंकों को कार्य करने निर्देश दिया जाए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.3.2016)**

बिहार के विकास से ही आगे बढ़ेगा देश

देश के विकास के लिए सबसे पहले बिहार की उन्नति जरूरी है। यदि देश का भाग्य बदलना है, तो सर्वप्रथम हमें बिहार का भाग्य बदलना होगा। बिहार को नई उचाईयों पर ले जाना होगा इसके लिए राज्य को केन्द्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। यदि राज्य केन्द्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले तो यहाँ सभी योजनाएं पहले पूरी होगी।'

ये बातें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 12.3.2016 को राघोपुर प्रखंड के छौकिया गाँव में तीन बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में कहीं। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सह सड़क पुल राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इसी जगह से हरी झंडी दिखाकर पाटलिपुत्रा जंक्शन और लखनऊ के बीच चलने वाली नई ट्रेन को रवाना किया। साथ ही उन्होंने रिमोट कंट्रोल से मुंगेर रेल सह सड़क पुल का शुभारंभ तथा मोकामा स्थित राजेन्द्र पुल के समानांतर एक अतिरिक्त रेल पुल का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ती है लेकिन लोगों को जुड़ने के लिए व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिज से न सिर्फ यातायात, बल्कि आर्थिक जीवन में भी बदलाव आयेगा। आजादी के कई वर्ष बीत गए तब का सपना आज पूरा हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि देश का सतत विकास करना है और यदि आने वाले 25-30 साल तक लगातार विकास की नई-नई ऊचाइयाँ पार करना है, तो इसके लिए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास करना जरूरी है। जब तक पूर्वी भारत विकास नहीं करेगा, चाहे वह बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा ही क्यों न हो तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये राज्य जितने विकसित होंगे हमारा देश उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने पूर्वी भारत को 'नर्व सेंटर' बताया और कहा कि इसका विकास जरूरी है। रेल और सड़क के इन्फ्रास्ट्रकचर में इतनी ताकत होती है कि ये न केवल नींव रखते हैं, बल्कि विकास को गति भी प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान हिन्दुस्तान के कोने-कोने में आते-जाते रहते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी-रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उनका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम समय में रेल यात्रा करने वालों को बड़ी सौगात देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। लंबी सफर की जी ट्रेनें हैं, उनमें दो या चार डिब्बे ऐसे लगेंगे, जिनमें कोई चढ़ जाये तो वह यात्रा कर सकता है। इन डिब्बों के नाम दीन-दयाल डिब्बे होंगे। इस सुविधा का सर्वाधिक लाभ बिहार के नौजवानों को मिलने वाला है। इस व्यवस्था से गरीबों को परेशानी नहीं होगी और वे समय पर पहुँचेंगे।

उन्होंने कहा कि ट्रेन तरीके से चलेगी इसके लिए रेल का कायाकल्प किया जा रहा है जिस रेल ने हिन्दुस्तान को गति दी उस रेल का नवीनीकरण बहुत जल्द होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर दो बहुत बड़े लोकोमोटिव कारखाने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 हजार करोड़ रुपयों का विदेशी निवेश बिहार की धरती पर आने वाला है, वह देश के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान युग में यातायात कनेक्टिविटी के साथ गैस पाइपलाइन भी उतनी ही महत्व रखती है। यदि गैस कनेक्टिविटी होती है, पाइपलाइन का खर्च बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद बिहार को गैस कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में तेज गति से काम जारी है, जो आने वाले दिनों में राज्य के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के करीब 70 वर्षों के बाद भी 18 हजार गांवों में बिजली नहीं पहुँची है और बिजली पहुँचाना, यह कोई लक्जरी नहीं है। बिजली अब जीवन का हिस्सा बन गई है। वह कोई ईसों का खेल नहीं है, गरीबों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ, वह एक हजार दिन में पूरा करना है। आज ही जानकारी मिली की कि करीब 6,000 से अधिक गांवों का काम पूरा हो गया जिसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँवों को मिला है। प्रधानमंत्री ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इस काम को गति देने में राज्य सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। यदि एक बार केन्द्र और बिहार की सरकारें तय कर लें तो पूरे हिन्दुस्तान में ये जो 18,000 गाँवों का काम बाकी है, उसमें से बिहार को सबसे पहले पूरा कर एक गौरवान्वित बिहार बना सकते हैं और जिस तरह काम चला है, उनका विश्वास कि काम हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को सराहा

"मैं नीतीश जी का कृतज्ञ हूँ। उनके प्रयासों के कारण बिहार में काम में तेजी से प्रगति हो रही है। अगर केन्द्र और बिहार सरकार निर्णायक तरीके से काम करें तो हम काम तेजी से पूरा कर सकते हैं और एक गौरवशाली बिहार बना सकते हैं।"

खुलेगा आर्थिक विकास का नया मार्ग : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाओ के शुरू करने पर प्रसन्नता जतायी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी यह संतोष की बात है कि जिन रेल परियोजनाओं का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे है वे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था तब रेल मंत्री की जिम्मेवारी उन्होंने ने ही संभाल रखी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सह सड़क पुलों का लोकार्पण तथा शिलान्यास से बिहार के विकास में गति मिलेगी साथ ही उत्तर और दक्षिण का एकीकरण से आर्थिक विकास का एक नया मार्ग खुलेगा। नीतीश ने कहा कि आज का दिन बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है। उन्होंने कहा कि रेल के इन परियोजनाओं से आवागमन की बेहतर सुविधा मिले सकेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उनकी सरकार केन्द्र के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य एक होकर विकास के क्षेत्र में काम करे तो कायाकल्प हो जायेगा।

इस मौके पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद, केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान, राधामोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, धर्मेन्द्र प्रधान, राम कृपाल यादव, गिरिराज सिंह, उपेन्द्र कुशवाहा के अलावा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। समारोह में रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने रेल परियोजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि रेल बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। धन्यवाद ज्ञापन मंत्री रेल राज्य मंत्री मनोज सिंहा ने पेश किया। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.3.2016)**

Rail bridges opened, trade & industry guns for more

With the railways taking steps for kicking off the electric and diesel locomotive engine projects, trade and industry captains are now pressing for the initiation of work on other pending projects, expediting sanctioned track building and conversion works and creation of properly equipped siding to ensure timely movement of rakes for goods transport.

Trade and industry wants the development of at least two railway sidings – the place where rakes carrying loads of material are shunted for loading and unloading of goods-to be taken up on a priority basis, said President of Bihar Chamber of Commerce O. P. Sah.

Maintaining that trade was mostly dependent on goods procured from other states, he said that there was a pressing

need for improving the infrastructure facilities at the existing railway sidings at Danapur, Fatuha and Sarai to facilitate decongestion, prevent damage of goods and ensure timely delivery of goods.

"Trade and Industry wants development of at least two railway sidings-the place where rakes carrying loads of material are shunted for loading and unloading of goods-on a priority basis". **— O. P. Sah,** BCCI Chief

" At present, these sidings are ill-equipped to handle traffic and cut the turnaround time, which, in turn, leads to the suspension of loading of goods originating from centres like Punjab, Haryana, etc, " he said.

Sah also raised the bar of his expectations seeking the early start of work on other pending railway projects, on a priority basis, besides initiating the process for the setting up of ancillary units in and around Madhaura and Madhepura electric /diesel engine projects to help the state in complimenting ' Make in india' campaign. **(Source : Hindustan Times, 14.3.2016)**

निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं : उप-मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि गोपालगंज जिले में बन रहे दो पुलों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा होगा। पुल और पथ के निर्माण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वे यहाँ जादोपुर में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित गोपालागंज-बेतिया पुल के उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी इस जिले में सत्तर घाट और बंगरा घाट दो पुलों का निर्माण चल रहा है। इनका शिलान्यास भी सीएम ने किया है। इन पुलों के बन जाने से भी लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए इन दोनों पुलों को समय पर निर्माण हो इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है।

सड़कों को अपग्रेड करने का कार्य तेज : डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि सड़कों को अपग्रेड करने का कार्य भी तेजी से ही रहा है। जो सड़कें पहले 3 मीटर की थीं, उनको 5 और जो 5 की थीं उनको 7 मीटर का किया जा रहा है। ताकि, आबादी बढ़ने पर उठ रही जाम की समस्या से लोगों को राहत मिले। सकारात्मक सोच रखने पर ही सूबे में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं, सीएम ने कहा कि 277 करोड़ से पुल के दोनों ओर एप्रोच रोड का निर्माण होगा। एनएच-28 और एसएच- 54 से इस पुल को जोड़ने के लिए योजना तैयार है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.3.2016)**

सीएम सेतु निर्माण योजना से बना 4774 पुल-पुलिया

राज्य में मुख्यमंत्री सेतु योजना से 4774 पुल-पुलिया का निर्माण हुआ है। पुल-पुलिया के निर्माण पर 2842 करोड़ खर्च हुआ है। एक जगह से दूसरे जगह की दूरी कम करने व सुगम यातायात के लिए राज्य में पुल-पुलिया के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। इसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में पुल का निर्माण होने से लोगों को सुविधा बढ़ी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल-पुलिया का निर्माण किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 6555 करोड़ से 1508 बड़े व छोटे पुल का निर्माण किया गया है। लगभग 1584 करोड़ खर्च से 34 आरओबी के निर्माण को स्वीकृति मिली। इसमें 22 आरओबी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 12 आरओबी का निर्माण भी चल रहा है। पुल निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे पुल में सुल्तानगंज व अगुवानीघाट के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। औरंगाबाद में दाउदनगर व नासरीगंज, गोपालगंज में बंगरा घाट पर, चकिया, केसरिया, सत्तरघाट सड़क मार्ग में गंडक नदी पर पुल का निर्माण, कोसी नदी पर बलुआहा घाट व गंडौल के बीच व विरौल के पास हाथी कोठी दरभंगा तक पुल का निर्माण काम हो रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.3.2016)**

राज्य में 24 घंटे बिजली के लिए नई पॉलिसी

राज्य में जुलाई 2016 से 24 घंटे क्वालिटी बिजली मिलेगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस में सुधार करने के लिए न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी लाने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं के घरों में जाने वाली बिजली का मेंटेनेंस निजी एजेंसी करेगी। वहीं, इंजीनियरों का काम पावर सब स्टेशनों तक ही सीमित होगा। यहाँ से निकलकर इसकी मॉनिटरिंग विद्युत अधीक्षण अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और कनीय विद्युत अभियंता करेंगे। अभियंताओं की रिपोर्ट के आधार पर बिजली कंपनी मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी को आर्थिक दंड और इंसेंटिव देगी।

क्या है न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रैंकिंग में सुधार करने और बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निपटारा करने का काम न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी के माध्यम से करेगी। इस पॉलिसी के आने के बाद ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियर ग्रिड सब स्टेशनों का ऑपरेशन करेंगे। लेकिन, यहाँ से निकलकर पावर सब स्टेशनों तक जाने वाले 33 केवी फीडर का मेंटेनेंस निजी एजेंसी के हाथों में होगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अभियंता पावर सब स्टेशनों का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ से निकलकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को बिजली सप्लाई देने वाले 11 केवी फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों से निकलकर उपभोक्ताओं के घरों तक जाने वाली एलटी लाइन का मेंटेनेंस एजेंसी करेगी।

ये है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस का मानक : राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को सातों दिन, 24 घंटे क्वालिटी बिजली देने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस का मानक तय किया है। बिजली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 18003456198 पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इस शिकायत का निपटरा बिजली कंपनी को तय समयसीमा के अंदर करना है।

1. **सामान्य फ्यूज कॉल :** ठीक नहीं हुआ तो जुर्माना 50 रुपए प्रतिदिन • **शहर**- 4 घंटा • **ग्रामीण क्षेत्र**- 24 घंटा
2. **ट्रांसफार्मर जलने पर :** ठीक नहीं हुआ तो जुर्माना 100 रुपए प्रतिदिन • **शहर**- 24 घंटा • **ग्रामीण क्षेत्र**- 72 घंटा
3. **मीटर की शिकायत :** ठीक नहीं हुआ तो जुर्माना 100 रुपए प्रतिदिन • **शहर क्षेत्र**- 7 दिन • **ग्रामीण क्षेत्र**- 15 दिन
4. **स्वामित्व में नाम का परिवर्तन :** प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना • **शहर और ग्रामीण क्षेत्र**- 7 दिन
5. **निर्धारित कार्य के लिए 12 घंटे से अधिक विद्युत बाधित होने पर :** 100 प्रतिदिन
6. **वोल्टेज में उतार-चढ़ाव :** जुर्माना 100 रुपए प्रतिदिन जहाँ नेटवर्क का विस्तार नहीं हो वहाँ 10 दिन में करना है ठीक। जहाँ नेटवर्क का विस्तार करना है वहाँ 120 दिनों में करना है ठीक।
7. **भूमिगत केबल फॉल्ट :** जुर्माना 50 रुपए प्रतिदिन शहरी क्षेत्र- 24 घंटा ग्रामीण क्षेत्र- 48 घंटा **(साभार : दैनिक भास्कर, 16.3.2016)**

बांका से बिहार को 2000 मेगावाट बिजली मिलेगी

बांका के ककवारा में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट से बिहार को आधी बिजली मिलनी तय हो गई। 4000 मेगावाट वाली इस परियोजना में 2000 मेगावाट बिजली के लिए नार्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने बिजली घर बनाने वाली एजेंसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के साथ करार किया। बांका की बची दो हजार मेगावाट बिजली शेष तीन अन्य राज्यों को मिलेगी। इसमें झारखंड को 1000, यूपी को 600 कर्नाटक को 400 मेगावाट बिजली मिलेगी।

एक नजर में परियोजना : • **बनना है:** बांका के ककवारा में • **जमीन चिह्नित :** 2440 एकड़ • **जमीन अधिग्रहण पर खर्च :** लगभग 900 करोड़ • **कोयला चाहिए:** 22 मिलियन टन सालाना • **कोल ब्लॉक :** पीरपैंती, महुआगाढ़ी से • **पानी मिलेगा:** गंगा नदी से 120 क्यूसेक • **परियोजना खर्च :** 28 हजार करोड़ **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.3.2016)**

बिहार में फूड पार्कों को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने बिहार में तीन नए मेगा फूड पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फूड पार्क राज्य के रोहतास, खगड़िया और बक्सर में पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य और केन्द्र सरकार इन तीनों परियोजनाओं के लिए निवेशकों को मोटा अनुदान भी देंगे।

सूत्रों के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने हाल ही में राज्य में इन तीनों परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत रोहतास में जेवीएल एग्रो, खगड़िया में प्रेस्टाइन लॉजिस्टिक्स और बक्सर मे मम्स फूड प्रा. लि. को मेगाफूड पार्क स्थापित करने की इजाजत दी गई है। इन तीनों कंपनियों को अगले तीन साल में ये पार्क विकसित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, इसके लिए केन्द्र सरकार ने इन कंपनियों को नाबार्ड के जरिये सस्ते दरों पर कर्ज देने की भी पेशकश की है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'इन तीनों परियोजनाओं से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी तरक्की होगी। मोटे तौर पर इन तीन परियोजनाओं से ही राज्य में कम से कम 1,000-1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आएगा। साथ ही, इससे राज्य में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इन तीनों परियोजनाओं के लिए मंत्रालय ने अपने स्तर पर कई रियायतें और आसान दरों पर कर्ज देने का भी फैसला लिया है।'

केन्द्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक रोहतास के मेगा फूड पार्क परियोजना में धान और चावल के प्रसंस्करण को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत यहाँ धान की कुटाई से लेकर धान की भूसी से तेल निकालने के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए कंपनी ने 80 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और इसके जरिये आस-पड़ोस के राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत बनाएगी। वहीं, खगड़िया में प्रेस्टाइन लॉजिस्टिक्स ने मक्का प्रसंस्करण को ध्यान में रखकर यह परियोजना विकसित करने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह परियोजना अगले साल तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे क्षेत्र के 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.3.2016)**

सूबे के छह जिलों में खुलेंगे 12 नये उद्योग

उद्यमी आगे आये और सरकार दो कदम आगे बढ़ी तो प्रदेश में नये उद्योग लगने के रास्ते खुलने लगे। उद्योग लगाने के वास्ते भू-खंड और पूंजी के लिए दो वर्षों से सरकारी अनुदान की बांट जोह रहे उद्योगों को उद्योग विभाग रुपये देने को तैयार हो गया है। दो उद्यमियों को भू-खंड के लिए जबकि 10 को पूंजी मद में राशि मुहैया करायी जायेगी। फिलहाल उद्योग विभाग की अनुदान समिति ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस अनुदान राशि से पटना, सहरसा, बेगूसराय, वैशाली, आरा और मधुबनी में पाईप, फूड, कंप्यूटर, मेटल्स, फिड्स, डिजिटल कैमरा और पॉली ट्यूब की फैक्टरियां खुलेंगी, 12 उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योग विभाग यह राशि मुहैया कराने जा रहा है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी वजह के पाँच वर्षों के अंदर यदि उद्योग बंद हुए, तो अनुदान की राशि सूद समेत वसूल की जाएगी।

उद्योग विभाग ने इस शर्त के साथ उद्यमियों को अनुदान उपलब्ध कराया है कि उनकी इंडस्ट्रीज कम से कम 5 वर्षों तक उत्पादन अवश्य करेगी।

पाइप, फूड, कंप्यूटर, मेटल्स आदि की खुलेंगी 12 फैक्टरियाँ

जिला	फैक्टरी	अनुदान
पटना	विध्यवासिनी पाइप इंडस्ट्रीज	3,45,28 लाख
सहरसा	पीयूष एक्वा	1,40,140 लाख
पटना	पंचशील फूड्स एंड विवरेज	6,39,139 लाख
बेगूसराय	कवीश इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,88,308 लाख
पटना	तिरुपति कंप्यूटर्स	2,19,846 लाख
पटना	शिव साईं मेटल्स	17,05,623 लाख
वैशाली	सांई परमदास इंटरप्राइजेज़	3,60,500 लाख
आरा	एसएम इंडस्ट्रीज	6,83,046 लाख
मधुबनी	शालीमार पिलेट फिड्स	11,27,222 लाख
पटना	क्लिक डिजिटल	3,15,000 लाख
पटना	भगवती पॉलीट्यूब	7,60,465 लाख
पटना	ब्रजेश्वरी शिव इंटरप्राइजेज	5,11,800 लाख

(विस्तृत : प्रभात खबर, 17.3.2016)

औद्योगिक पार्क नीति में फेरबदल करेगा बिहार !

बिहार सरकार निजी औद्योगिक पार्क नीति में फेरबदल की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार प्रक्रिया के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के न्यूनतम आकार को भी बढ़ाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार के इस कदम का बिहार के उद्यमी विरोध कर रहे हैं।

राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक उद्योग विभाग औद्योगिक पार्क नीति में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके तहत विभाग अपनी नीति में बड़े बदलाव करने वाली है, साथ ही इसे राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इसके तहत विभाग प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, ताकि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। निजी औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों को भी राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति के मुताबिक अनुदान देगी। साथ ही निवेशकों को अनुदानों का ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा, ताकि सरकारी काम में पारदर्शिता लाई जा सके।

राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्क के लिए जरूरी न्यूनतम जमीन की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इस वक्त निजी औद्योगिक पार्क लगाने के लिए कम से कम 25 एकड़ जमीन चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इसे 50 एकड़ करने पर विचार कर रही है। हालांकि राज्य के कारोबारियों ने इस पहल का कड़ा विरोध किया है।

राज्य के एक दूसरे बडे कारोबारी ने कहा, 'ये तो देखिए अब तक राज्य में कितने निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं? वैसे, ही कोई इस बारे में आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में जरूरत औद्योगिक क्षेत्र के आकार को कम किए जाने की है। अगर राज्य सरकार कम नहीं कर सकती है, तो कम से कम मौजूदा नियमों को ही जारी रखे।'

बिहार में औद्योगिक जमीन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2013 में निजी औद्योगिक पार्क नीति को लागू किया था। इसके तहत राज्य सरकार ने बिहार में औद्योगिक इलाकों को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों और अनुदानों का ऐलान किया था। हालांकि विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) की शर्त और जमीन के बड़े टुकड़ों के अभाव की वजह से तीन वर्षों में महज 5 प्रस्ताव ही राज्य सरकार के पास आए। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.3.2016)**

राज्य में कृषि का दर्जा, केन्द्र ने नहीं दी मंजूरी

मछली पालन • कृषि ऋण के तर्ज पर मछली पालकों को नहीं मिल सकी बैंक की मदद, केन्द्र का कृषि ऋण में छूट से इनकार।

राज्य सरकार ने मछलीपालन को कृषि का दर्जा तो दिया, पर केन्द्र सरकार द्वारा इसे कृषि कार्य नहीं मानने के कारण इसका लाभ मछलीपालकों को नहीं मिल सका। अब भी मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता बनी हुई है।

सबसे अधिक मछुआरे बिहार में : • राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.9 प्रतिशत हिस्सा जल ग्रहण क्षेत्र है। • मछली का उत्पादन सालाना 4.79 लाख टन है। • राज्य में 273.3 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र है

क्यों दिया गया कृषि का दर्जा : राज्य सरकार ने कहा था कि कृषि आधारित जीविका होने के कारण यहाँ मछली पालन और पशुपालन महत्वपूर्ण पूरक है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन यहाँ लोग पारंपरिक तरीके से मछली पालन करते है। यदि वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन हो तो राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मछली पालकों को कृषि के लिए मिलने वाली दर पर बिजली मिलेगी। मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड, बीमा सुरक्षा, बैंक से नियत दर पर ऋण मिलना, आयकर में रियायत आदि का प्रावधान किया गया। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.3.2016)**

कपड़ा व्यावसायियों ने सरकार के सामने रखा नया फार्मूला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपी साह के नेतृत्व में गुरुवार को कपड़ा व्यवसायी वाणिज्य कर विभग की आयुक्त सह सचिव सुजाता चतुर्वेदी से मिलकर नया फार्मूला सौंपा। इसमें कहा गया है कि कपड़ा पर वेट लगाने से सरकार को महज 20 से 25 करोड़ का राजस्व आएगा जबकि जबकि हमारा फार्मूला मान लेने से 150 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। बिहार टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्रीज के प्रधान सचिव रंजीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार हमारे प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 का टैक्स तो मिलेगा ही, वर्ष 2015-16 का भी टैक्स मिल जाएगा। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि सरकार कपड़ा पर लगाए गए पाँच फीसद वैट हटा ले, और हमारे फार्मूले के तहत टैक्स वसूली की नई व्यवस्था लागू कर दे। रंजीत सिंह ने बताया कि वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव से आश्वासन मिला है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.3.2016)**

Bihar Electricity Regulatory Commission

SCHEDULE OF TARIFF RATES

For NBPDCL and SBPDCL w.e.f. 1st April, 2016

Comparative Chart of Existing, Proposed and Approved Retail Tariff for FY 2016-17

Sl No.	Category & Consumption	Existing Tariff Rates		Proposed by NBPDCL and SBPDCL		Approved Tariff Rates by the Commission	
		Rate		Rate		Rate	
		FC (Rs.)	EC (Ps./U)	FC (Rs.)	EC (Ps./U)	FC (Rs.)	EC (Ps./U)
A	**Low Tension Supply**						
1	**DOMESTIC**						
1.1	**Kutir Jyoti**						
	K.J. Rural (Unmetered)	Rs. 60	x	110	x	Rs. 60	x
	K.J. Rural (Metered)	x	1st 30U-170 remaining as per DS-I MMC Rs. 40		0-30 U -170 remaining as per DS-I MMC Rs. 40	x	1st 30U-170 remaining as per DS-I MMC Rs. 40
	K.J. Urban (Metered only)	x	1st 30U-205 remaining as per DS-II MMC Rs. 50		0-30 U-205 remaining as per DS-I MMC Rs. 50	x	1st 30U-205 remaining as per DS-II MMC Rs. 50
1.2	**DS - I (Rural Single Phase upto 2kW)**						
	Unmetered	170	x	250	x	170	x
	Metered -	x		x		x	
	First 50 Units	x	210		240	x	210
	51 - 100 Units	x	240		270	x	240
	Above 100 Units	x	280		310	x	280
	MMC	x	1st kW - 40U 2nd kW- 20U		1st kW - 40U 2nd kW- 20U	x	1st kW - 40U 2nd kW- 20U
1.3	**DS - II (Metered Only) - Single Phase connected load based**						
	Single Phase - Upto 7 kW						
	1-100 U/Month	1st kW Rs. 55 Addl. kW Rs.15	300	1st kW Rs. 65 Addl. kW Rs.20	335	1st kW Rs. 55 Addl. kW Rs.15	300
	101 - 200 U/Month		365		400		365
	201 -300 U/Month		435		470		435
	above 300 U/Month		545		580		545
	MMC	No MMC		No MMC		No MMC	
1.3.1	***DS - II(D) (Metered Only) - Single Phase Demand based (Optional)***						
	Single Phase - Upto 7 kW						
	1-100 U/Month	1st kW Rs. 60 Addl. kW Rs.20	300	1st kW Rs. 70 Addl. kW Rs.30	335	1st kW Rs. 60 Addl. kW Rs.20	300
	101 - 200 U/Month		365		400		365
	201 -300 U/Month		435		470		435
	above 300 U/Month		545		580		545
	MMC	No MMC		No MMC		No MMC	
1.4	**DS - II (Metered Only) - Three Phase Connected load based**						
	Three Phase -above 5 kW						
	1-100 U/Month	5 kW Rs. 250 Addl. kW Rs.15	300			5 kW Rs. 250 Addl. kW Rs.15	300
	101 - 200 U/Month		365	Demand based as compulsory proposed			365
	201 -300 U/Month		435				435
	above 300 U/Month		545				545
	MMC	No MMC		No MMC		No MMC	
1.4.1	***DS - II(D) (Metered Only) - Three Phase Demand Based (Optional)***						
	Three Phase - 5kW and above	Rs.60/kW		Rs.70/kW		5kW Rs. 300 Addl. kW Rs.20	
	1-100 U/Month		300		335		300
	101 - 200 U/Month		365	Demand based as compulsory proposed	400	Optional approved	365
	201 -300 U/Month		435		470		435
	above 300 U/Month		545		580		545
	MMC	No MMC		No MMC		No MMC	
1.5	**DS-III Connected load based**						
	MMC per Flat	Rs. 55/KW	All U 435	Demand based compulsory proposed		Rs. 55/KW	All U 435
		1st kW 40 U addl. kW 20 U				No MMC	
1.5.1	***DS-III (D)Metered Demand Based (Optional)***						
	MMC per Flat	N/A		Rs.65	450	Rs. 60/kW	All U 435
				1st kW 40 U addl. kW 20 U		No MMC	
2	**NON DOMESTIC**						
2.1	**NDS - I - Rural Single Phase upto 2kW**						
	Unmetered	Rs. 230	x	290	x	Rs. 230	x
	Metered	x		NIL		x	
	1-100 U/Month	x	240		270	x	240
	101 - 200 U/Month	x	280		310	x	280
	above 200 U/Month	x	320		350	x	320
	MMC per KW	No MMC		MMC 50U/kW		No MMC	
2.2	**NDS - II (Metered Only) - Single Phase connected load based**						
	upto 0.5 kW	N/A		N/A		Rs.100	
	0.5 - 7kW - Single Phase						
	1-100U/m	Rs. 180/kW	515	Rs. 200/kW	560	Rs. 180/kW	515
	101-200 U/m		545		590		545
	above 200 U/m		585		630		585
	MMC per kW	MMC 50U/kW		MMC 50U/kW		No MMC	
2.2.1	***NDS - II(D) Single phase Demand based (Optional)***						
	1kW- 7kW - Single Phase						
	1-100U/m	N/A		N/A		Rs. 215/kW	515
	101-200 U/m						545
	above 200 U/m						585
	MMC per kW					No MMC	
2.3	**NDS - II (Metered Only) - Three Phase ,Connected Load based**						
	1-100U/m	Rs.200/kW	515	Demand based compulsory proposed		Demand based compulsory approved	
	101-200 U/m		545				
	above 200 U/m		585				
	MMC per kW	MMC 50U/kW					
2.4	**NDS - II (Metered Only) - Three Phase ,Demand based Compulsory**						
	1-100U/m	Rs.250/kW	515	Rs.275/kW	560	Rs.250/kW	515
	101-200 U/m	*Optional*	545		590		545
	above 200 U/m		585		630		585
	MMC per kW	MMC 70U/kW		MMC 70U/kW		No MMC	

Bihar to have road safety authority soon

With the number of road accident deaths rising alarmingly the government announced to set up a Bihar road safety authority and establish a road safety fund.

The minister said revenue generation of the department had increased from a meagre Rs 200 crore in 2007-06 to Rs 966 crore in 2014-15. "The target for this fiscal is Rs 1,100 crore, while in the next fiscal we hope to take it to Rs. 1,500 crore. This has happened due to check on over-loading and strict enforcement of road discipline," he said.

100% TAX EXEMPTION TO WOMEN ON PURCHASE OF COMMERCIAL VEHICLES

In a bid to encourage women and physically challenged persons to take up transport business, Bihar gover-nment has decided to give them 100% tax exemption on purchase of commercial vehicles, trans-port minister chandrika Rai informed the assembly. The beneficiaries must however, possess driving licence to avail the tax exemption, he added. **(Source : H.T., 17.3.16)**

एमएसएमई स्टार्टअप को नियमों में छूट

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले क्षेत्र की नई इकाइयों के लिए अनुभव और कारोबार से संबंधित खरीद नियमों में छूट दी। इसका मकसद उन्हें अपनी सार्वजनिक खरीद का हिस्सा बनाने में काबिल बनाना है।

अप्रैल 2015 से सभी सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभागों को अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं की जरूरतों का 20 प्रतिशत एमएसएमई से खरीदने का निर्देश दिया गया। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार, 'अगर एमएसएमई तय तकनीकी और गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति कर सकते हैं, अनुभव और कारोबार संबंधी नियमों में उनके लिए छूट होगी।' इस कदम से एमएसएमई क्षेत्र के स्टार्टअप अनिवार्य 20 फीसद सार्वजनिक खरीद का हिस्सा बन सकेंगे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.3.16)**

टैक्स रिफंड 15 दिनों में मिलेगा

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को कर रिफंड की शिकायतों को 15 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा फिलहाल यह शिकायतें 30 दिनों में निपटाई जाती हैं।

Sl No.	Category & Consumption	Existing Tariff Rates		Proposed by NBPDCL and SBPDCL		Approved Tariff Rates by the Commission	
		Rate		Rate		Rate	
		FC (Rs.)	EC (Ps./U)	FC (Rs.)	EC (Ps./U)	FC (Rs.)	EC (Ps./U)
2.5	**NDS-III - Single phase Connected Load based**						
	load upto 7 kW	Rs. 80/kW min. 165/con/m		Rs. 100/kW min. 190/con/m		Rs. 80/kW min. 165/con/m	
	Energy Charge						
	1-100U/M		315		360		315
	101-200U/M		395		440		395
	Above 200U/M		485		530		485
	MMC per kW	MMC 50U/kW		MMC 50U/kW		No MMC	
2.5.1	**NDS-III(D)- Single phase Demand based (Optional)**						
	load upto 7 kW	N/A		N/A		Rs.95/kW	
	Energy Charge						
	1-100U/M						315
	101-200U/M						395
	Above 200U/M						485
	MMC per kW					No MMC	
2.6	**NDS-III - Three phase Connected Load based**						
		Rs. 80/kW min. 165/con/m load upto 30 kW		Demand based compulsory proposed		Demand based compulsory approved	
	Energy Charge						
	1-100U/M		315				
	101-200U/M		395				
	Above 200U/M		485				
	MMC per kW	MMC 50U/kW					
2.7	**NDS-III(D) - Three phase Demand based compulsory**						
		Rs. 80/kW		Rs. 100/kW		Rs.95/kW	
	Energy Charge	load upto 30 kW				load upto 70 kW	
	1-100U/M		315		360		315
	101-200U/M	**Optional**	395		440	**Compulsory**	395
	Above 200U/M		485		530		485
	MMC per kW	MMC 70U/kW		MMC 70U/kW		No MMC	
2.8	**NDS-IV Connected load based for Hoardings banners etc**						
	Single Phase	N/A		N/A		Rs.200/kW	650
	Three Phase	N/A		N/A		Rs.200/kW	650
3	**Irrigation & Agriculture**						
3.1	**Pvt Tubewell IAS - I**						
	Unmetered Supply						
	per HP per month	Rs.120 Rural	x	Rs.120 Rural	x	Rs.120 Rural	x
	per HP per month	Rs.160 Urban	x	Rs.160 Urban	x	Rs.160 Urban	x
	Metered Supply						
	Units Rate - Paise / U		110 (Rural) 170 (Urban)	x	110 (Rural) 170 (Urban)		110 (Rural) 170 (Urban)
	MMC per HP/Month	Rs.85 Rural	Rs.130 Urban	Rs.85 Rural	Rs.130 Urban	Rs.85 Rural	Rs.130 Urban
3.2	**State Tubewell IAS - II**						
	Unmetered Supply						
	per HP per month	Rs. 900 Rural	x	Rs. 900 Rural	x	Rs. 900 Rural	x
	per HP per month	Rs. 1000 Urban	x	Rs. 1000 Urban	x	Rs. 1000 Urban	x
	Metered Supply		615Rural		615Rural		615 Rural
			715Urban		715Urban		715 Urban
	MMC HP/M		225 U/HP	225U/HP			225 U/HP
4	**Low Tension Industrial**						
4.1	**LTIS-I Connected load based**						
	LTIS - I	Rs. 85/HP	All U 550	Demand based compulsory proposed		Rs.85/HP	All U 550
	MMC		70U/HP/M				70U/HP/M
4.1.1	**LTIS-I Demand based (Optional)**						
	load 5 kW to 15 kW	Rs.170/kW	All U 550	Rs.180/kW	595	Rs.135/kW	All U 550
				proposed to be compulsory		load upto 19 kW	
	MMC per kW	125 U/M		125 U/M		Optional	95 Units/M
4.2	**LTIS-II connected Load based**						
	LTIS - II	Rs. 110/HP	All U 585	Demand based compulsory proposed		Demand based compulsory approved	
	MMC		100U/HP/M				
4.3	**LTIS-II(D) Demand based compulsory**						
	LTIS - II,15kW to 70 kW	Rs.195/kW	All U 585	205/kW	All U 630	Rs.175/kW	All U 585
		Optional				above 19 kW	
	MMC		180 U/kW		180U/kW		135 U/kW
5	**Public Water Works connected load based**						
5.1	**PWW**						
		Rs.205/HP	700	Rs.205/HP	700	Rs.205/HP	700
	MMC/HP		165 Units		165 Units		165 Units
6	**Street Light Services**						
6.1	**SS-I Metered Supply**	x	All U 700	x	All U 700	x	All U 700
	MMC per KW (Unit)	GP - 160, NSC-220, MC-250		GP - 160, NSC-220, MC-250		GP - 160, NSC-220, MC-250	
6.2	**SS-II Unmetered**						
	Fixed Charges						
	Light Point Wattage	GP NAC	Mun. Corp.	GP NAC	Mun. Corp.	GP NAC	Mun. Corp.
	per 100W per month (Rs.)	270 360	440	270 360	440	270 360	440
B	**High Tension Supply**	***DC Rs./kVA/M***	***EC PS. / U***	***DC Rs./kVA/M***	***EC PS. / kVAh***	***DC Rs./kVA/M***	***EC PS. / kVAh***
7	**HTS - I (11 / 6.6 kV)**	270	585	290.00	630	270	530
		at 11 kV or 6.6 kV		at 11 kV		at 11 kV	
8	**HTS - II (33kV)**	270	565	280	595	270	510
9	**HTS - III (132kV)**	270	555	280	570	270	500
10	**HTS - IV(220kV)**	N/A	N/A	280	570	270	500
11	**HTSS- (33kV/ 11kV)**	700	325	800	370	700	295
12	**Railways**						
12.1	**RTS (132kV)**	240	570	240.00	570	240	515
		(i) Rebate/Surcharge @ 15 paise/U for higher voltage/lower voltage than 132 kV shall be allowed				(i) Rebate/Surcharge @ 13 paise/kVAh for higher voltage/lower voltage than 132 kV shall be allowed	

बोर्ड कर रिफंड को लेकर बढ़ती शिकायतों से चिंतित हैं। सीबीडीटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, कर रिफंड के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए यह तय किया गया है कि आयकर कानून की धारा 245 के तहत पुष्टि के मामलों में करदाताओं और कर निर्धारण अधिकारी के लिए समय सीमा को मौजूदा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया जाय। आदेश में कहा गया है कि यह रिफंड के लंबित मामलों को निपटाने के लिए एकबारगी उपाय के तौर पर किया गया है। इस प्रकार से कम की गई समय सीमा 31 मार्च 2016 तक ही वैद्य होगी। **(सा. : हिन्दुस्तान, 8.3.16)**

हेल्पलाइन से नये उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग करेगा मार्गदर्शन

बिहार में नया उद्योग लगाने वालों को नयी उद्योग नीति व मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए अब उद्योग विभाग के चक्कर नहीं लगाने होगे। उद्योग विभाग नया उद्योग लगाने वालों को हेल्पलाइन से तमाम जानकारियां मुहैया करायेगा। विभाग ने इसके लिए हेल्प लाइन नं०: 0642-2547695 जारी किया है। इस नंबर पर सूबे में नया उद्योग लगाने वालों को तमाम तरह की जानकारियाँ विभाग मुहैया करायेगा। इस नंबर पर विभाग उद्योग लगाने व अनुमोदन आदि की प्रक्रिया की जानकारी मुहैया करायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 14.3.2016)

58 उद्योग फैला रहे प्रदूषण

पॉल्यूशन क्लीयरेंस को ले कर बिहार बालू संकट से अभी उबरा भी नहीं है कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने 58 बड़े उद्योगों को सर्वाधिक पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री घोषित कर दिया है। शुक्र है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरह बालू खनन पर तत्काल रोक न लगायी है, पर सर्वाधिक प्रदूषण फैला रहे सभी 58 उद्योगों को चेतावनी नोटिस जरूर थमा दी है। 55 उद्योगों को 60 दिनों में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की चेतावनी दी गयी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिन 58 बड़े उद्योगों को सर्वाधिक पॉल्यूटेड घोषित किया है। उनमें आठ चीनी मिलें, 15 मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, एक ऑयल रिफाइनरी और 32 कोक, कोलतार व फ्यूल गैस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। बोर्ड ने सभी उद्योगों के प्रबंधकों को अपनी-अपनी इंडस्ट्री को 'पॉल्यूशन फ्री' करने को कहा है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 17.3.2016)

सरकारी इच्छाशक्ति से होगा अंग प्रदेश का विकास

भागलपुर के विकास के लिए इस क्षेत्र के उद्यमियों ने सरकारी मदद से ज्यादा सरकारी इच्छाशक्ति की मांग की है। अंग प्रदेश में बिज़नेस स्टैंडर्ड के 'बिज़नेस बातें' कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में उद्यमियों और प्रबुद्ध जनों ने सरकार से उद्योग और उद्यमिता विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।

ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (ईबीसीसीआई) और बिज़नेस स्टैंडर्ड के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ईबीसीसीआई के नव-नियुक्त अध्यक्ष शैलेन्द्र श्राफ ने कहा, 'भागलपुर में औद्योगिक विकास की असीन संभावनाएं हैं, खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तो हमारे सामने मौकों की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मक्का हमारे इलाके में पैदा होता है। केले के उत्पादन के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। आम और लीची की यहाँ बड़ी मात्रा में पैदावार होती है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत के बाद राज्य में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी। अगर उद्योगों का विकास होगा तो पूरे इलाके के लोगों का विकास होगा।' ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सम्मानित कारोबारी मुकुटधारी अग्रवाल ने उनकी इस बात से सहमति जताई, लेकिन इसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और बैंकों की रुचि को सबसे अहम कारक बताया।

अग्रवाल ने कहा, '40 साल पहले तक भागलपुर बिहार के औद्योगिक मानचित्र में एक सम्मानित नाम था। भागलपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज में कई उद्योग-धंधे थे, जो धीरे-धीरे बंद होते चले गए और हम राज्य के दूसरे इलाकों से पिछड़ते चले गए। हमारे पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। मक्के, गेहूँ और फलों के उत्पादन के मामले में हम काफी आगे हैं, लेकिन फिर भी उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। उद्योग के लिए भागलपुर को आज सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे की जरूरत है। समय पर सरकारी सहायता और बैंक से कर्ज की दरकार है। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सरकार और बैंक अपना नजरिया बदलें।' स्थानीय उद्यमी आर के मिश्रा ने कहा, 'हमारा शहर सिल्क सिटी के रूप में यूं ही नहीं विख्यात है। इलाके में खाद्य प्रसंस्करण के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद कपड़ा उद्योग से ही है, लेकिन विकास को लेकर स्थानीय अधिकारियों और बैंकों की कोई रुचि नहीं रही है। इससे इलाके का विकास बाधित है।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.3.2016)

35% बढ़ी औद्योगिक विकास दर

• **1.17** 5 साल पूर्व खनन उद्योग की विकास दर • **11.96** वर्तमान में खनन उद्योग की विकास दर • विद्युत और गैस उद्योग में भी विकास दर बढ़ा है। • **7.52** विद्युत और गैस उद्योग की विकास दर • औद्योगिक विकास दर हासिल करने में बिहार आंध्र प्रदेश से मात्र 1.1 प्रतिशत पीछे है। • आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का औद्योगिक क्षेत्र है तो छोटा, बावजूद इसके यहाँ की अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हुआ है।

विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी

राज्य	जीएसडीपी	राज्य	जीएसडीपी
बिहार	18.6 प्रतिशत	ओडिशा	33.4 प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	19.6 प्रतिशत	पंजाब	27.0 प्रतिशत
छत्तीसगढ़	41.9 प्रतिशत	राजस्थान	30.6 प्रतिशत
हरियाणा	27.0 प्रतिशत	तमिलनाडू	28.0 प्रतिशत
झारखंड	36.1 प्रतिशत	उत्तर प्रदेश	20.8 प्रतिशत
कर्नाटक	26.2 प्रतिशत	पश्चिम बंगाल	18.7 प्रतिशत
महाराष्ट्र	28.6 प्रतिशत		

(साभार : प्रभात खबर, 8.3.2016)

अग्रिम कर का भुगतान चार किस्तों में कर सकेंगे

वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) भुगतान की समय सीमा में फेरबदल करने का प्रस्ताव किया है। अगर बजट में लाए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अगले वित्त वर्ष से करदाता (जिनका अग्रिम कर बनता है) साल में चार तिथियों में अग्रिम कर का भुगतान कर सकेंगे। हालांकि इससे उन्हें तीन महीने पहले ही अग्रिम कर की पहली किस्त चुकानी होगी। फिलहाल तीन तारीखों या तीन किस्तों में करदाताओं को अग्रिम कर का भुगतान करना होता है।

इन बातों पर करें गौर : अगर अग्रिम कर का भुगतान निश्चित राशि के रूप में नहीं किया जाता है तो आयकर की धारा 234बी और धारा 234सी के तहत जुर्माना देना पड़ता है। आयकर की धारा 207 के अन्तर्गत वैसे वरिष्ठ नागारिक जिनकी उम्र 60 या उससे अधिक है और उनकी किसी कारोबार या पेशे से आय नहीं है तो उन्हें अग्रिम कर चुकाने की आवश्कता नहीं है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.3.2016)

टीडीएस कटने के बाद टैक्स डिमांड नहीं

आयकर विभाग ने अपने फील्ड अफसरों से कहा है कि जिन व्यक्तियों का टीडीएस काट लिया गया है लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ है, उनसे नए सिरे से कर की मांग न की जाए। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में मसौदा जारी किया।

बोर्ड ने कहा कि जहाँ तक कर निर्धारिती का टैक्स, इसे काटने वाले की ओर से भुगतान न किए जाने का मामला है, वहाँ सीधे कर की मांग किए जाने पर रोक है। लिहाजा कर काटने वाले की और से टीडीएस की रकम सरकार के खजाने में जमा न किए जाने के मामले में कर आकलन करने वाले अधिकारी सीधे करदाता से नए सिरे से टैक्स की मांग नहीं करेंगे। **(हिन्दुस्तान, 12.3.2016)**

10 लाख कर बकाया है तो 2.5 लाख दीजिए, 7.5 लाख रुपए माफ

पैसा जुटाने को आया कर विवाद समाधान बिल : विवादों में उलझी कर राशि को सुलझा सरकार संसाधनों का मोर्चा दुरुस्त करेगी। सरकार ने इससे जुड़ा कराधान विवाद समाधान विधेयक - 2016 विधानमंडल में सर्कुलेट कर दिया है। इससें दो फार्मूले तय किए गये हैं। पहला फार्मूला वित्तीय वर्ष 2004-05 के पहले के विवादित बकाए कर से जुड़ा है और दूसरा 2005-06 और 2011-12 तक के लिए है। पुराने बकाए के समाधान में 2005-06 के बाद के बकाए की तुलना में थोड़ी अधिक राहत दी गई है। वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि राजस्व बढ़ाने के चिह्नित उपायों में यह बिल एक उपाय है। इससे 300 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर इसका लाभ उठाया जा सकता है। वैसे, सरकार यह अवधि बढ़ा भी सकती है।

छोटे बकाएदारों को ज्यादा फायदा : विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक छोटे बकाएदार ज्यादा फायदे में दिखते हैं। 2004-05 के पूर्व यदि किसी पर 10 लाख से अधिक कर बकाया है तो वह 2.5 लाख के भुगतान पर ही सेटल हो जाएगा। 2005-06 के बाद इतनी ही राशि पर 3 लाख भुगतान करना होगा। यानी 7 से 7.5 लाख की छूट। दस लाख से कम की राशि पर तयशुदा रकम और कर प्रतिशत का प्रावधान नहीं है।

फॉर्मूला 2004-05 तक के लिए

विवाद	समाधान
फार्म 9 या 9 सी से जुड़े विवाद	विवादित राशि का 10%
10 लाख तक कर बकाया	विवादित राशि का 25%
10 लाख से अधिक 1 करोड़ रुपए से कम	2.5 लाख+बकाया का 32%
1 करोड़ से अधिक बकाया	31.30 लाख +बकाया का 40%
पेनाल्टी या सूद से पैदा विवाद	विवादित राशि का 10%

फॉर्मूला 2005-06 से 2011-12 के लिए

विवाद	समाधान
10 लाख तक बकाया कर	बकाया कर का 30%
10 लाख से अधिक 1 करोड़ रुपए से कम	3 लाख + विवादित बकाया कर का 37%
1 करोड़ से अधिक बकाया कर	36. 30 लाख+विवादित बकाया कर का 46%
पेनाल्टी या सूद से पैदा विवाद	विवादित राशि का 10%

2500 करोड़ रुपए फंसे हैं सरकार के : 536 करोड़ का बकाया 31 मार्च 2014 के पूर्व का है। कुल बकाया राशि 2014 तक 2500 करोड है। इनमें 1505 करोड़ बिकी व व्यापार, 572 करोड़ माल व यात्री कर, 98 करोड़ विद्युत पर कर व शुल्क, 46 करोड़ राज्य उत्पाद व 10 करोड़ वस्तु व सेवाओं पर अन्य कर का बकाया है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.3.2016)**

बड़े लेन-देन पर निगरानी बढ़ाएगा आयकर विभाग

आयकर विभाग अब अधिक कीमत या राशि की लेन-देन करने वालों पर निगरानी और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से सालाना तय राशि से अधिक की खरीदारी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश करते हैं तो आप जाँच के दायरे में आ सकते हैं।

नए नियमों के मुताबिक अगर आप क्रेडिट कार्ड से सालाना 10 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करते हैं तो ऐसे लेन-देन की छानबीन हो सकती है। पहले क्रेडिट कार्ड से दो लाख रुपये सालाना की खरीदारी की सीमा थी। इस प्रकार इसे पाँच गुणा बढ़ा दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दो लाख रुपये से अधिक की एक लेन-देन से की गई इकट्ठा खरीदारी कर जाँच के दायरे में होगी।

सख्ती : • लेन-देन की नई सीमा 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई हैं • तय सीमा से अधिक के लेन-देन के कई विकल्पों में कर देना होगा • पहले क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की सालाना तय सीमा दो लाख रुपये थी।

एक नजर : • 10 लाख रुपये से अधिक की क्रेडिट कार्ड से सालाना खरीदारी पर होगी नजर • 10 लाख रुपये से अधिक का सालाना ड्राफ्ट भी कर के दायरे में आ जाएगा। • 30 लाख रुपये अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री की राशि को बरकरार रखा है • 01 लाख रुपये निवेश राशि की सीमा तय थी पहले शेयर बाजार में निगरानी के लिए। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.3.2016)**

टैक्सपेयर की जल्द दूर होंगी शिकायतें

करदाताओं से जुड़ी सेवाओ, शिकायतों के निपटान के लिए बनाए गए दो निदेशालय

टैक्सपेयर्स की समस्याओं का निपटारा अब आसानी से ही सकेगा। इनकी शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए राजस्व विभाग ने करदाता-सेवा निष्पादन व निगरानी की अलग से व्यवस्था की है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने दो अलग-अलग निदेशालय-करदाता सेवा निदेशालय-1 तथा करदाता सेवा निदेशालय-2 गठित किए हैं। ये दोनों निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विभाग के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिये टैक्सपेयर्स से जुड़ी सेवाओं को डिलीवरी और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।

सीबीडीटी करेगी निगरानी : सीबीडीटी ने कहा है कि दोनों निदेशालय करदाताओं की शिकायतों से जुड़ी सभी मामलों पर नजर रखेंगे और समन्वय करेंगे तथा उसके समय पर निपटान सुनिश्चित करेंगे। यह नई व्यवस्था सीबीडीटी की निगरानी में काम करेगी। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली, आयकर सेवा केन्द्र सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निपटान के जरिये शिकायतों का निपटान करता है। इस दिशा में और एक और कदम उठाते हुए सीबीडीटी ने करदाता सेवाओं की डिलीवरी और निगरानी के लिए एक अलग ढांचा स्थापित करने के लिए आदेश जारी किया है।

दो माह के मीतर हो निपटारा : सीबीडीटी पूर्व में भी आयकर विभाग से लोगों की शिकायतें जल्दी दूर करने के लिए निर्देशित कर चुका है। बोर्ड ने कहा है कि आयकरदाताओं की शिकायतें दो माह में दूर हो जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता से करने व कंप्लायंस (अनुपालन) रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 8.3.2016)**

बचत खाते में तिमाही ब्याज जुड़ेगा

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया, करोड़ों बचत खाता धारकों को मिलेगा लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने करोड़ा बचत खाता धारकों के हित में निर्देश देते हुए बैंकों से कहा है कि वह बचत खाता में प्रत्येक तिमाही अथवा इससे भी कम अवधि में ब्याज का भुगतान करें।

वर्तमान में बैंकों के बचत खाते में प्रत्येक छमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है। हालाँकि, बचत खाते में 1 अप्रैल 2010 से प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है। रिजर्व बैंक ने 3 मार्च को जारी मास्टर सकुर्लर में कहा कि घरेलू बचत खाता जमा पर ब्याज प्रत्येक तिमाही और इससे भी कम अवधि में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2011 में केन्द्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को

• 04 प्रतिशत की दर से बचत खाता जमा पर ब्याज का भुगतान करते हैं सरकारी बैंक • 06 प्रतिशत तक ब्याज की पेशकश करते हैं निजी क्षेत्र के बैंक बचत खाता जमा पर • 01 अप्रैल 2010 से प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है बचत खाते में • 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है रिजर्व बैंक के इस ताजा निर्देश से बैंकों पर।

बचत खाता जमा पर ब्याज दर तय करने की छूट देने का फैसला किया था। नियंत्रित ब्याज दर परिवेश की समाप्ति का यह आखिरी फैसला था। बैंकों को यह आजादी दिए जाने के साथ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि एक लाख रुपये तक की जमा पर समान ब्याज दर की पेशकश की जानी चाहिए। इससे अधिक राशि की जमा पर बैंकों को अलग-अलग ब्याज देने की अनुमति होगी।

विश्लेषकों के अनुसार जितनी कम अवधि होगी उतना ही जमा रखने वालों को फायदा होगा। बैंकों को ग्राहकों को अधिक राशि देनी होगी। एक अनुमान के अनुसार बचत खाते में कम अवधि में ब्याज भुगतान करने से बैंकों पर 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। इससे पहले बैंक बचत खाते पर 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देते थे। ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख से लेकर माह की अंतिम तिथि के बीच सबसे कम जमा राशि पर दिया जाता था।

आपका फायदा : • वर्तमान में बैंकों के बचत खाते में प्रत्येक छमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है • एक लाख रुपये तक की जमा पर समान ब्याज दर की पेशकश करें बैंक • नियंत्रित ब्याज दर परिवेश की समाप्ति का यह आखिरी फैसला था • वर्ष 2011 में बैंकों को बचत खाता जमा पर ब्याज दर तय करने की छूट मिली थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.3.2016)**

दवाओं पर प्रतिबंध 90 दिन बाद प्रभावी हो

केन्द्र सरकार द्वारा दवाओं पर लगाए गए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना से दवा व्यवसाय में पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से केमिस्टों के अखिल भारतीय स्तर की शीर्षस्थ संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ड्रग्स कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया, ज्वाइंट सेक्रेट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एवं सभी दवा निर्माता कंपनी को अवगत कराया गया है।

बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार ने भी पत्र देकर आग्रह किया है कि इस अधिसूचना को सही मायने में पूरी तरह से सीएंडएफ/डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉकिस्ट/ होलसेलर एवं रिटेलर स्तर पर लागू करने के लिए कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्था ने बड़ी-बड़ी दवा निर्माता कम्पनियों को पत्र देकर प्रतिबंधित ब्रांड की सूची मांगी है, उसके अनुसार जो अभी ब्रांड की अधूरी सूची उपलब्ध हो सका है उसका संख्या लगभग 7.5 हजार ब्रांड है, यदि औषधि विभाग के पास प्रतिबंधित दवाओं का ब्रांड के रूप में विभिन्न दवा निर्माता कम्पनियों की पूर्ण सूची उपलब्ध है तो उसकी सूची सभी दवा दुकानदारों/सभी दवा व्यवसायिक संगठन को उपलब्ध करायी जाए, जिससे इस प्रक्रिया को पूरी करने में और तेजी लाया जा सके। **(दैनिक भास्कर, 17.3.2016)**

मुद्रा योजना में लोन पर स्टाम्प शुल्क घटेगा

बिहार सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा कोष बैंकिंग योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 1000 से घटाकर 200 रुपए करेगी। तारांकित प्रश्न पर निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने विधानसभा में यह घोषणा की।

श्री मस्तान ने कहा कि इस योजना में 50 हजार रूपए तक के ही लोन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 1000 से घटाकर 200 रुपए करने पर सरकार विचार कर रही है। इससे अधिक के लोन पर शुल्क कम किए जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। प्रमोद कुमार ने कहा कि कृषि लोन और किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर किसानों को स्टाम्प या निबंधन शुल्क नहीं देना होता है। कृषि लोन की तरह ही छोटे कारोबारियों को रोजगार में मदद के लिए प्रधानमंत्री मुदा कोष बैंकिंग योजना के तहत 50 हजार से लेकर पाँच लाख रुपए तक लोन मिलता है। लेकिन राज्य में इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक के लोन पर राज्य सरकार 6000 रुपए स्टाम्प शुल्क ले रही है जिसके कारण इस योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.3.2016)**

डाक खाताधारी कहीं से भी निकाल सकेंगे पैसे

डाक विभाग के खाताधारियों को विभाग के ही एटीएम मशीन से रुपये निकालने की बाध्यता जल्द खत्म हो जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से विभागीय मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही डाक विभाग के एटीएम से भी बैंक के खाताधारी व विभाग के खाताधारी भी किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। डाक विभाग को कोर बैंकिंग से जोड़ने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लाइसेंस मिल चुका है। संभावना है कि एक महीने के अंदर डाक विभाग के एटीएम कार्ड से लोग किसी भी बैंक से रुपए निकाल सकेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.3.2016)**

स्टार्टअप्स के लिए बजट में पाँच गुना वृद्धि

सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए अपने बजट में पाँच गुना वृद्धि की है। यह कदम पीएम की महत्वाकांक्षी पहल 'स्टार्टअप इंडिया' के तर्ज पर उठाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा के मुताबिक, 2016-17 में यह 50-80 नये उद्यमों को प्रति कंपनी 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की फंडिंग उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कुल वित्त पोषण 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.3.2016)**

रियल एस्टेट. नियमन विधेयक को राज्यसभा से मिली मंजूरी

राज्यसभा में सरकार ने बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट नियमन एवं विकास विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पास होते ही देश के बिल्डरों और उपभोक्ताओं में एक उम्मीद की किरण जगी है। 2008 की महामंदी के बाद से लगातार नरमी का रुख झेल रही रियल स्टेट को गति मिलेगी। वहीं, उपभोक्ताओं को बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा।

राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इसका उद्देश्य खरीददारों के हितों की रक्षा करना और क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि इसके जरिये आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं का नियमन होगा। साथ ही ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उन्हें सौंपने में भी मदद मिलेगी। विधेयक में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अपीलीय प्राधिकरणों के नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रमोटरों को तीन साल तक की सजा तथा रियल एस्टेट एजेंटों एवं खरीददारों को एक साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं।

बिल तो ठीक, पर जेल का प्रावधान कड़ा : राज्यसभा में रियल एस्टेट नियमन एवं विकास विधेयक का देश के बिल्डरों ने स्वागत किया है, मगर उन्होंने यह भी कहा है कि विधेयक में जेल का प्रावधान कड़ा है। इस क्षेत्र से जुड़े परामर्शदाताओं ने कहा कि इस विधेयक से कारोबार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। क्षेत्र के कुछ लोगों ने विधेयक में सजा के प्रावधान को कड़ा बताया है। इसमें गैर-कानूनी काम करने वालों को तीन साल की सजा का प्रावधान है। कई कंपनियों ने विधेयक में मौजूदा परियोजनाओं को शामिल किये जाने को लेकर असंतोष जताया।

विज्ञापन से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी

बिल में क्या है खास : • हाउसिंग ही नहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू होंगे नियम • सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन • अथॉरिटी के साथ बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटो का रजिस्ट्रेशन • प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो • उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया तेज़ होगी।

कई नये प्रावधान : • परियोजना के प्लान में बदलाव के लिए दो तिहाई खरीदारों की सहमति लेना जरूरी • रियल एस्टेट की निर्धारित परियोजनाओं को अपना विज्ञापन लाने से पहले पंजीकरण जरूरी • पंजीकरण में परियोजना से जुड़ी सारी सूचनाएं देनी होंगी • विधेयक उपभोक्ताओं एवं रियल एस्टेट क्षेत्र दोनों के हितों की करेगा सुरक्षा • विधेयक को तैयार करने में राज्यों के साथ-साथ सभी पक्षों से की गयी व्यापक चर्चा • 500 वर्ग मीटर या आठ अपार्टमेंट में तब्दील कर दिया गया है परियोजना के पंजीकरण मानकों को • 1000 वर्ग मीटर या 12 अपार्टमेंट की परियोजना का प्रावधान था नया बिल पास होने के पहले • 70 फीसदी राशि एडवांस, जो खरीदारों से ली गयी,अलग खाते में रखना होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.3.2016)**

देवघर-बांका रेल लाइन पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन

देवघर-बांका नई रेल लाइन पर अब जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। रेल मंत्रालय के सुरक्षा आयुक्त पीके आचार्या और उप सुरक्षा आयुक्त ए डे विशेष ट्रेन से जसीडीह से कटोरिया रेलवे स्टेशन पहुँचे। इन अधिकारियों ने ट्रेनों के परिचालन के आवश्यक तमाम तकनीकी पहलुओं को बारीकी से देखा। ट्रेन के कटोरिया रेलवे स्टेशन पहुँचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारी द्वय ने कटोरिया के प्लेटफार्म, पैनल रूम व स्टेशन के अन्य हिस्सों को देखा और रह गई कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिये। स्टेशन परिसर के बागबानी में इन अधिकारियों ने पौधरोपण भी किया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.3.2016)**

वैशाली एक्सप्रेस का रूट बदला, अब लखनऊ स्टेशन के रास्ते चलेगी

गाड़ी संख्या 12553/12554 बरौनी-नई दिल्ली-बरौनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रूट बदल गया है। अब इस गाड़ी का परिचालन पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन के स्थान पर उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन के रास्ते होगा। यह बदलाव 24 मार्च से प्रभावी होगा। 24 मार्च को नई दिल्ली व बरौनी से खुलने वाली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ जंक्शन के स्थान पर लखनऊ स्टेशन के रास्ते चलेगी। अप एवं डाउन दोनों दिशा में लखनऊ स्टेशन पर इस गाड़ी के पहुँचने व खुलने का समय लखनऊ जंक्शन की तरह ही रहेगा। गाड़ी संख्या 12553 बरौनी-नई दिल्ली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस रात 10.05 बजे पहुँचकर 10.25 बजे और गाड़ी संख्या 12554 नई दिल्ली-बरौनी वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस 03.45 बजे पहुँचकर 04.05 बजे लखनऊ से खुलेगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ अरविन्द कुमार रजक ने दी।

(साभार: दैनिक भास्कर, 17.3.2016)

मशीन में डालिये पैसा और प्लेटफॉर्म टिकट हाथ में

अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे अपने सभी बड़े स्टेशनों पर टिकट मशीन लगाने जा रहा है। मशीन की खासियत है कि इससे एक मिनट से भी कम समय में टिकट उपलब्ध हो जायेगा। मई में ये मशीनें विभिन्न स्टेशनों पर लग जायेंगी। मशीन में पैसा डालते ही टिकट लोगों के हाथ में होगा। मशीन से टिकट लेने में लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर इसकी डिजाइनिंग भी उसी तरह से की गयी है, जिसमें बस पैसा डालने व टिकट लेने का ऑप्शन होगा। इसके अलावा मशीन में कोई और प्रक्रिया नहीं होगी। जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेल के बड़े स्टेशनों में पटना जंकशन पर तीन मशीनें, दानापुर में दो के अलावा पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, किऊल, बेगूसराय समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक-एक मशीनें लगायी जायेंगी।

टिकटों पर रहेगा नंबर, साधारण फोन से शिकायत : आपातकालीन स्थिति में ट्रेन में बैठे यात्रियों को शिकायत करने के लिए या कोई जानकारी देने के लिए एप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल टिकट में शिकयत नंबर एवं रेल एप्स का सारा ब्योरा रहेगा। इसके बाद जनरल यात्रियों को अगर अपनी बोगी में होनेवाली परेशानी के बारे में रेल मंत्रालय तक पहुँचाना है, तो बस उनको अपना टिकट निकाल कर नंबर डायल कर देना है और उनकी परेशानी तुरंत रेल मंत्रालय व शिकायत सेल से जुड़े अधिकारी कर पायेंगे। अभी रेल टिकट में कोई नंबर नहीं रहता है। टिकट के पीछे केवल यह जानकारी रहती है कि ट्रेन छूटने के बाद कितना पैसा कटेगा। लेकिन नयी व्यवस्था के बाद सबसे अधिक उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जो साधारण फोन लेकर ट्रेन में सफर करते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 14.3.2016)

गया में मेमू रेक व समस्तीपुर में मालगाड़ी की होगी मरम्मत

पहले झाझा में होता था डिब्बों का मेंटेनेंस

अब पैसेंजर ट्रेनों की डेमू रेक और मालगाड़ी के डिब्बों को फुल मेंटेनेंस के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। बिहार में ही किसी तरह की मरम्मत के साथ फुल मेंटेनेंस का काम हो सकेगा। इसके लिए गया में मेमू कार शेड और समस्तीपुर में मालगाड़ी के डिब्बों के लिए वर्कशॉप बनेगा। इस बार के रेल बजट में दोनों सुविधाओं के लिए राशि जारी की गई है। रेल बजट में 56 करोड़ की लागत से गया में नया मेमू कार शेड स्वीकृत किया गया है। इसकी स्थापना से मेमू रैक का मेंटेनेंस समय पर किया जा सकेगा। इससे ट्रेनों के समय पालन में सुधार होगा। पैसेंजर ट्रेनों को समय से चलाने की गरज से रेलवे सभी मार्ग की

डेमू रेक को मेमू में बदलने का अभियान चला रहा है। ऐसे में दो-चार सालो के अंदर अधिकांश पैसेजर ट्रेन मेमू रेक से चलाई जाएगी। इसे ध्यान में रखकर रेलवे ने यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था। वहीं, समस्तीपुर के वैगन कारखाने में अब मालगाड़ियों का निर्माण एवं लोडिंग के लिए अनुपयुक्त वैगनों की मरम्मत के साथ-साथ हर तरह की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अभी तक पूर्व मध्य रेल में कोई वैगन वर्कशॉप नहीं है। मुगलसराय मंडल में खाली माल डिब्बों का परीक्षण कर लोडिंग के लिए धनबाद मंडल भेजा जाता है। समस्तीपुर वर्कशॉप में 200 वैगनों का फुल मेंटेनेंस प्रतिमाह किया जा सकेगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 15.3.2016)

'क्लीन माई कोच सेवा शुरू'

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 'क्लीन माई कोच' सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा हासिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्लीन टाइप करके स्पेस देकर अपना पीएनआर नंबर लिखना होगा। यह मैसेज आप 58888 पर सैंड करेंगे तो 10 मिनट में सफाई कर्मी आपकी सीट के इर्द-गिर्द सफाई करके जाएगा। फिलहाल, यह सेवा शताब्दी और राजधानी जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए शुरू की गई है।। जल्द ही ये सर्विस सभी गड़ियों में शुरू होगी। इसके अलावा यात्री एंड्रायड एप पर जाकर या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूक्लीनमाईकोचडॉटकॉम पर लॉग-इन कर भी सफाई के लिए अनुरोध कर सकेंगे। प्रभु ने रेल बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी।

(साभार : आई नेक्स्ट, 12.3.2016)

विज्ञापन से 5000 करोड़ रुपये जुटाने की रेलवे की योजना

भारतीय रेलवे ने विज्ञापन क्षेत्र से 5,000 करोड़ रुपये की संभावित कमाई में मदद करने के लिए लेखा एवं सलाहकार फर्म ईवाई की मदद लेने का फैसला किया है। निजी कंपनी रेलवे के लिए किराये से इतर कमाई बढ़ाने के लिए 7,000 स्टेशनों पर विज्ञापनों के माध्यम से कीमतों की रणनीति तय करने और परिसंपत्तियों की पहचान करेगी।

रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू) आर आईटीईएस, भारतीय रेल की सलाहकार इकाई ने बहुपक्षीय नीलामी के बाद ईवाई को यह काम सौंपा है। शुरूआती अनुमान दर्शाते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में रेलवे में 5, 000 करोड़ रुपये से भी अधिक की विज्ञापन संभावनाएं मौजूद हैं।' भारतीय रेल ने कहा कि मार्केटिंग ऐंड एडवर्टाइजिंग रिस्क सर्विसेज (एमएआरएस) के जरिये सलाहकार फर्म ने इस संबंध में काम शुरू भी कर दिया है। ईवाई और भारतीय रेलवे ने इस परियोजना के तहत रेलवे की परिसंपत्तियों का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए विज्ञापनदाताओं से बात करने की योजना बनाई है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.3.2016)**

अब सात दिनों में लीजिए पासपोर्ट

• आवेदन ग्रांट होने के दिन ही प्रिंटिंग, पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस जाँच • आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैनकार्ड रहने पर होगी आसानी

पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अब सात दिन में पासपोर्ट देने लगा है। इमरजेंसी पर चार दिन में भी मिल जाएगा। पासपोर्ट आवेदन ग्रांट होने के दिन ही पासपोर्ट प्रिंट कर लिया जा रहा है। हाँ, सात दिन में उसे ही पासपोर्ट मिलेगा, जिसके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैनकार्ड है। तीनों में नाम और जन्मतिथि में अंतर नहीं होनी चाहिए। साथ में आपराधिक मुकदमा नहीं होने का शपथ पत्र देना है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.3.2016)**

Compensation to flyers to go up

A bill providing for enhanced compensation to air travellers in case of death, injury, lost baggage or even inordinate delay in flights was passed by parliament.

The Carriage by Air (Amendment) Bill was passed in the Lok Sabha on December 2015 and by the Rajya Sabha, with certain amendments, on March 2, The bill, along with the amendments, came back to the Lower House today, and was adopted by a voice vote.

Once it gets the approval of the President and becomes an act, the law will require Indian airlines to pay a compensation amount that is equivalent to the rates paid by their global counterparts.

Under the law, the compensation for death in an air accident will be increased to over Rs 1 crore from almost Rs 89 lakh now. The amount will be calculated on the basis of SDRs (special drawing rights). The bill intends to raise the liability limit for damage in case of death or bodily injury for each person to 1, 13, 100 SDR from 1,00,000 SDR.

The bill will also allow the government to revise the liability limits of airlines in line with the Montreal Convention, which was acceded to by India in May 2009.

Earlier this month, while piloting the bill in the Rajya Sabha, aviation minister Ashok Gajapathi Raju had said it would bring legislative character to compensation for air passengers in line with international practices.

According to the bill, the liability for delay in carriage for each person was proposed to be raised to 4,694 SDR from 4,150 SDR, while the liability in case of destruction, loss damage or delay of baggage is proposed to be increased to 1,131 SDR from 1,000 SDR,

The liability in case of destruction, loss or delay in relation to the carriage of cargo has been raised to 19 SDR from 17 SDR .

The liability limits are revised once every five years by the International Civil Aviation Organisation on the basis of a determined inflation factor of 13.1 per cent, triggering an adjustment in the limits. **(Source : Hindustan Times, 14.3.2016)**

एक करोड़ युवाओं का एक वर्ष में होगा कौशल विकास

श्रम विभाग की तैयारी, 19 करोड़ होंगे खर्च

श्रम संसाधन विभाग ने कौशल विकास के लिए कमर कस ली है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग 19.05 करोड़ खर्च करेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक विभाग ने एक करोड़ लोगों में कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। अकेले श्रम संसाधन विभाग ने 20.31 लाख लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कौशल विकास पर 500 करोड़ खर्च करने की योजना है। विभाग ने और 14 विभागों के लिए कौशल विकास का लक्ष्य तय कर दिया है। कौशल विकास में गांवों को फोकस किया गया है। कृषि, ग्रामीण, विकास, शिक्षा, समाज कल्याण के साथ-साथ समय की मांग को देखते हुए सूचना-प्रोद्यौगिकी सेक्टर को अधिक प्राथमिकता दी गयी है।

कौशल विकास का लक्ष्य

विभाग	संख्या	विभाग	संख्या
श्रम संसाधन	20.31	अल्पसंख्यक कल्याण	1.56
सूचना प्रौद्योगिकी	6.25	नगर विकास एवं आवास	3.13
ग्रामीण विकास	12.50	शिक्षा	9.38
कृषि	18.75	समाज कल्याण	8.75
स्वास्थ्य	1.25	अजा-अजजा कल्याण	3.75
विज्ञान एवं प्राद्योगिकी	3.13	उद्योग	5.00
पशुपालन	3.13	पर्यटन	0.94
मत्स्य पालन	0.63	गृह (कारा)	0.12
दुग्ध निदेशालय कंफेड सहित	1.56		

*(संख्या लाख में)

इस साल 25 आइटीआइ खोलने की योजना : श्रम संसाधन विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25 आइटीआइ खोलेगा। 7 जिलों में महिला व 18 अनुमंडल में सामान्य आइटीआइ खोला जायेगा। नया आइटीआइ के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिन जिलों में पहले जमीन मिल जाएगी, वहाँ ये आइटीआइ बना दिए जाएगें। 46 अनुमंडलों के व 22 जिलों में महिला आइटीआइ का प्रस्ताव पर सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। **(साभार : प्रभात खबर, 8.3.2016)**

दूध और उसके उत्पादों में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार

राज्य को दूध उत्पादन व उससे बनने वाले उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जिलों में मवेशी पालन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना बनाई गई है।

योजना के तहत प्रत्येक मवेशी की खरीद पर कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। स्वयं सहायता समूह के लोग, बेरोजगार युवक, स्वरोजगारी इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक दो दुधारू मवेशियों के लिए 90 हजार रुपए दिए जाएंगे।

पाँच दुधारू मवेशियों के लिए 3.26 लाख : पशुबीमा, पशुशाला निर्माण आदि के लिए कुल एक लाख 30 हजार दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के किसानों को 65 हजार का अनुदान तो दलितों को 97 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। पाँच दुधारू मवेशियों के लिए 3.26 लाख रुपए मिलेगे। इसमें सवा दो लाख सिर्फ मवेशियों के लिए रहेंगे।

अलग-अलग इकाइयों के लिए भी मिलेगा अनुदान : इस योजना में भी दलितों को 2. 44 लाख रुपए अनुदान और सामान्य वर्ग को 1.63 लाख का अनुदान लाभ मिलेगा। मजे की बात है कि एक ही परिवार में एक से अधिक लोग की योजना का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे अलग-अलग स्थानों पर दूध उत्पादन इकाइयां स्थापित कर उसका संचालन करें।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.3.2016)

स्प्रिट का उत्पादन बंद, एक अप्रैल से बनेगा इथनॉल

देसी व मसालेदार शराब बंद करने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। एक मार्च से राज्य में स्प्रिट का उत्पादन बंद कर दिया गया।

एक अप्रैल से स्प्रिट बनाने वाली कंपनियां छोआ से इथनॉल बनाएंगी। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्व में हुई बैठक में नई उत्पाद नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग ने कई और कड़े कदम उठाए हैं।

उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शहरी क्षेत्र में ही विदेशी शराब की बिक्री होनी है। देसी व मसालेदार शराब बंद करने के लिए सभी जिलों के लिए कार्ययोजना बन गई है। पूरे जिले को सीलबंद करने के लिए बैरियर, चेकपोस्ट व सीसीटीवी कैमरा के साथ ही जीपीएस लगी ई-लॉक गड़ियों की व्यवस्था होगी। **(हिन्दुस्तान, 3.3.2016)**

राजधानी में पाइप से रसोई गैस आपूर्ति पर काम शुरू

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसद में बताया कि पटना और आसपास के शहरों में पाइप से गैस की आपूर्ति शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए डोभी से पटना के बीच पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सरकार तय समय में वहाँ पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

प्रश्न काल के दौरान श्री प्रधान ने कहा कि गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी और दुर्गापुर खाद कारखानों को भी गैस की आपूर्ति करने की योजना है। जैसे ही इन कारखानों को गैस की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन लगेगी, तो इनके आसपास के शहरों पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय आदि इलाकों में भी पाइपलाइन पहुँच जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.3.2016)**

आधार कार्ड के गलत प्रयोग पर कड़ी सजा

अगर गलत सूचना देकर या किसी अन्य गलती से आपके पास दो आधार कार्ड हों तो फिर बेहतर होगा कि इसे आप तुरंत ही सरकारी एजेंसियों को लौटा दीजिए, आधार को कानूनी जामा पहनाने वाला सरकार का नया कानून इसके गलत इस्तेमाल पर भी काफी सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। दो आधार के बलबूते सरकार की सब्सिडी की मलाई खाने वालों को न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ेगी बल्कि उन्होंने जो लाभ लिया है उसे भी ब्याज समेत लौटाना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए आधार को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की थी। विधेयक का प्रस्ताव तैयार है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 3.3.2016)**

दवा खरीद-बिक्री का बिल अनिवार्य

राज्य के तमाम दवा दुकानदारों को खरीद-फरोख्त का बिल हर महीने औषधि विभाग के पास जमा कराना होगा, पहले इसकी सीमा आठ मार्च रखी गयी थी। लेकिन, दुकानदारों की अपील पर इसकी सीमा एक अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है। अधिकारियों के मुताबिक दवा खरीद की रसीद विभाग के इंस्पेक्टर के पास जमा करानी होगी। जाँच के दौरान ऐसा नहीं होने पर संबंधित दवा दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। पटना सहित प्रदेश में संचालित हो रही अवैध दवा दुकानों पर औषधि विभाग शिकंजा कसने के मूड में है। किस दुकान का लाइसेंस नहीं है और किस दुकान पर नशीली व नकली दवाएँ बेचने का कारोबार किया जा रहा है। इन दुकानों को चिह्नित करने के लिए अलग से तीन सदस्यीय टीम बनायी गयी है। **(साभार : प्रभात खबर, 5.3.2016)**

जिला प्रशासन ने शुरू की संपर्क हेल्पलाइन सेवा

9304023456 नंबर पर कॉल करें, 160 अफसर सुनेंगे समस्या

कार्यालय अवधि : • सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं कॉल • 160 विभिन्न विभागों क अफसरों से हो सकेगा सीधा संपर्क • 24 घंटे पुलिस, विद्युत व आपदा के अफसरों से रोजाना होगी बात।

कैसे करें शिकायत : हेल्पलाइन नंबर 9304023456 पर कॉल करना होगा। कॉलिंग के दौरान ऑप्शन दिया जाएगा कि जिला, अनुमंडल या प्रखंड स्तरीय अधिकारी से बात करने के लिए... नंबर डायल करें। समस्या से संबंधित अधिकारी का चुनाव करने के बाद आपकी बात होने लगेगी। अगर किसी कारणवश उक्त अधिकारी से बात नहीं हो पाई तो उनके मोबाइल पर एसएमएस चला जाएगा और वह कॉल जिला नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। हेल्पलाइन पर होने वाली बात हमेशा रिकॉर्ड होती रहेगी। आम लोगों द्वारा हेल्पलाइन पर किया गया मोबाइल नंबर जब संबधित अधिकारी को ट्रांसफर होगा तो संबंधित अधिकारी के पास डीएम के लैंडलाइन का नंबर शो करेगा।

किस समस्या के लिए किससे शिकायत

समस्या का प्रकार	जिला स्तर	अनुमंडल	प्रखंड
राशन वितरण	अपर जिला दंडाधिकारी	विशिष्ट पदा० अनुभाजन	एमओ
छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक कल्याण पदा०	एसडीओ	बीडीओ
दाखिल खारिज या भूमि विवाद	अपर समाहर्ता	डीसीएलआर	सीओ
किसान क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण	एलडीएम	बैंकिंग एसडीओ	बीडीओ
घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना	महिला हेल्पलाइन	एसडीओ	बीडीओ
योजना पूर्ण न होना	जिला योजना पदाधिकारी	एसडीओ	बीडीओ
अग्निकांड, दुर्घटना	नियंत्रण कक्ष	प्रभारी, आपदा एसडीओ	बीडीओ
पेंशन भुगतान	स० नि० सामाजिक सुरक्षा	एसडीओ	बीडीओ
आंगनबाड़ी केन्द्र	जिला प्रोगाम पदाधिकारी	एसडीओ	बीडीओ
शिक्षकों की अनुपस्थिति	जिला शिक्षा पदाधिकारी	एसडीओ	बीडीओ
मध्याह्न भोजन बंद होना	जिला शिक्षा पदाधिकारी	एसडीओ	बीडीओ
चिकित्सा सेवा में त्रुटि	सिविल सर्जन	एसडीओ	बीडीओ
मनरेगा योजना	निदेशक डीआरडीए	एसडीओ	बीडीओ
इंदिरा आवास योजना	निदेशक डीआरडीए	एसडीओ	बीडीओ

(साभार: दैनिक भास्कर, 10.3.2016)

वासन्ती नवरात्र एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
– शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296